सूचना का अधिकार

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक एफ 11–100/2020/सूअप्र/1–9/918 भोपाल, दिनांक 03/11/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश पर दिए गए निर्देशों के संबंध में कार्यवाही बाबत्।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2022 की छाया प्रति संलग्न है। कृपया उक्त पारित आदेश में उल्लेखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार,

(मनोज मालवीय)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

2....

सूचना का अधिकार

एफ 11–100/2020/सूअप्र/1–9/919 भोपाल, दिनांक03/11/2022

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
8. मंत्री/राज्यमंत्री गण, के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
15. मुख्य सचिव, के सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. आयुक्त, जन सम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल,
17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, 35–बी, अरेरा हिल्स, भोपाल,
19. अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग (सू.अ.प्र.) की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पंजी. 879290 / 2022 / 1-9
दिनांक 29/09/22

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

(स्पीडपोस्ट से)

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(6) आदेश की प्रति आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पालिका भवन 6 नं बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल म0प्र0 संभागीय कमिश्नर रीवा और कलेक्टर, रीवा म0प्र0 को भी उपलब्ध करायी जाये। ताकि वे अपने क्षेत्र/विभाग में सूचना के अधिकार प्रकरण के प्रति सजग रहें। उक्तानुसार अपील का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

M.P. STATE INFORMATION COMMISSION

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
21/09/2022

A-1365/SIC/REWA/2022 12235

भोपाल, दिनांक 21 /09/2022

प्रति,

1- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0	6- कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा म0प्र0
2. लोक प्राधिकारी – आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पालिका भवन 6 नं बस स्टॉप, शिवाजी नगर भोपाल भोपाल (म.प्र.)	7. कलेक्टर, कार्यालय रीवा जिला–रीवा म0प्र0
3. श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला–रीवा म0प्र0	8. श्री अतीत गौतम (अपीलार्थी) निवासी ग्राम जरहा, पोस्ट डेल्ही थाना व तहसील मनगवां,
4. श्री सुरेश कुमार सोनवानी, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मनगवां, जिला–रीवा म0प्र0	
5. अपीलीय अधिकारी, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जिला–रीवा म0प्र0	अनुभाग अधिकारी

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in
TWITTER : @rahulreports

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

APPEAL NO: A-1365/REWA/2022

ATEET GAUTAM/ अतीत गौतम — **अपीलकर्ता/ APPELLANT**

VERSUS — **प्रतिवादीगण/ RESPONDENT**

श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव,
तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मनगवां रीवा म0प्र0
वर्तमान में– सहायक परियोजना
अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण,
जिला–रीवा म0प्र0

RTI APPLICATION FILED ON 18/11/2021	FIRST APPEAL FILED ON 06/01/2022	SECOND APPEAL FILED ON 17/03/2022
PIO REPLIED ON 21/09/2022	FIRST APPELLATE AUTHORITY ORDER ON 25/01/2022	FIRST HEARING ON 26/08/2022 APPELLANT – PRESENT THEN PIO - ABSENT CURRENT PIO - PRESENT ORDER ON 26/08/2022 1st SCN HEARING ON 21/09/2022 THEN PIO – PRESENT FINAL ORDER ON 21/09/2022

(1) उपस्थिति :

आयोग द्वारा नियत एस.सी.एन. सुनवाई दिनांक 21/09/2022 में श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला–रीवा म0प्र0 उपस्थित।

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(2) RTI के तहत मांगी गई जानकारी :-

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दि0 18/11/2021 से लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला-रीवा म0प्र0 में आवेदन दायर कर निम्नानुसार 3 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी-

1. नगर परिषद मनगवां की टी0एस0 पंजी की प्रमाणित छायाप्रति (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक)
2. नगर परिषद मनगवां की स्टाक चालू पंजी स्थायी भन्डार पंजी एवं सामग्री कय पंजी की प्रमाणित छायाप्रति (वर्ष 2017-18 से 2021-2022 तक)
3. नगर परिषद मनगवां की बिल पंजी एवं आकस्मिक व्यय से संबंधित राशि भुगतान के बिल व्हाउचर व राशि प्राप्तकर्ता एजेन्सी ठेकेदार की प्रमाणित जानकारी।

(3) सूचना आयोग में अपील का आधार :

अपीलार्थी के मुताबिक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक के दिनांक 18/11/2021 के आरटीआई आवेदन द्वारा लोकहित में माँगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा 30 दिन में प्रदान नहीं की गई। इस हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06/01/2022 को दायर की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निराकरण नहीं करने के कारण एवं जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 17/03/2022 को दायर की गई।

(4) तथ्य :

(1) प्रकरण में श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला-रीवा म0प्र0 (वर्तमान में-सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला-रीवा म0प्र0 द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिनांक 21/09/2022 को निम्न कथन किये गये :-

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

1- उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि नगर परिषद मनगवां जिला रीवा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण व्यवस्था संचालन हेतु अतिरिक्त प्रभार दिनांक 13 अगस्त 2021 को कलेक्टर जिला रीवा के द्वारा प्रदाय किया गया, जिसमें प्रार्थी अपने मूल कार्य के साथ-साथ नगर परिषद मनगवां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पदीय कार्यों का कार्य संपादित किया जा रहा था।

2- आवेदक श्री अतीत गौतम ग्राम जरहा मनगवां रीवा के द्वारा 18.11.2022 को एक ही आवेदन पर कई जानकारियां चाही गयी थी जिसमें अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन रीवा से चर्चा अनुसार संबंधित को एक ही आवेदन में कई जानकारियां मांगे जाने के कारण कार्यालयीन नगर परिषद मनगवां का पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 01.12.2021 जारी कर प्रकरण के संबंध में सूचित किया गया है। कतिपय कारणो एवं त्रुटिवस वांछित जानकारी भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा से संबंधित होने के कारण शीघ्र प्रदाय नहीं की जा सकी।

3- आयोग के आदेश दिनांक 26.08.2022 के परिपालन में श्री अतीत गौतम को निर्धारित अवधि में वांछित जानकारी दो गवाहों के समक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां के द्वारा प्रदाय की गयी है, पावती संलग्न है।

अतः विनम्र आग्रह है कि आयोग के द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 11073 भोपाल, दिनांक 02.09.2022 निरस्त करते हुये क्षमा प्रदान करने की कृपा करें।

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(5) आयोग का मतः—

(1) सुनवाई दौरान आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला—रीवा म0प्र0 (वर्तमान में—सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला—रीवा म0प्र0) द्वारा आवेदक को चाही गयी जानकारी 30 दिवस के भीतर उपलब्ध नहीं करायी गयी। श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 18/11/2021 में वांछित जानकारी को 30 दिन की समय सीमा में उपलब्ध ना कराकर धारा 7(1) का उल्लंघन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 7(1) का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी असद्भावपूर्वक, जानबूझकर जानकारी को अवरूद्ध किया गया। लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही के चलते जो जानकारी 30 दिन की अवधि में उपलब्ध करानी थी। अपीलार्थी को जानकारी आायोग के आदेश दिनांक 26/08/2022 के उपरांत उपलब्ध करायी गयी। सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी से जब पूछा गया कि उनके द्वारा समय-सीमा में अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं करायी गई तो वह आयोग के समक्ष इसका कोई युक्तियुक्त जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाये।

(2) श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई में ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने का कोई भी प्रयास युक्तियुक्त रूप से तत्परता पूर्वक उनके द्वारा किया गया हो। चाही गयी जानकारी पूरी तरह से सामान्य और सहज रूप से प्रदान की जा सकती थी। पर ऐसा न करते हुए श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शिथिलता पूर्वक रवैया आयोग के समक्ष दर्शाया है। धारा 20 में स्पष्ट है कि प्रकरण में यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई आवेदन का निराकरण विधि सम्मत किया गया है तो उसे साबित करने का भार स्वयं लोक सूचना अधिकारी पर ही है।

(3) तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से हाईकोर्ट नियम का हवाला देकर पत्र क्रमांक 1160/2021 दिनांक 01/12/2021 में आरटीआई आवेदन को एक ही आवेदन में चाही गयी तीन

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

बिन्दुओं की जानकारी होने के आधार पर निरस्त किया गया। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश शासन के अधीन लोक प्राधिकारियों में इस तरह का कोई भी नियम प्रभावशील नहीं है। इस तरह का नियम म0प्र0 उच्चतम न्यायालय जबलपुर में ही प्रभावशील है। श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके विधि विरूद्ध रूप से आरटीआई आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से 02 बिन्दुओं की जानकारी को निरस्त किया गया था।

(4) श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा के आदेश दिनांक 25/01/2022 की अवहेलना के लिए भी जिम्मेदार है। आयोग द्वारा पाया गया कि श्री श्रीवास्तव को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25/01/2022 को तीन बिन्दु की जानकारी में से एक बिन्दु की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव द्वारा इस एक बिन्दु की जानकारी भी उपलब्ध नहीं करायी। श्री श्रीवास्तव द्वारा आयोग के समक्ष मौखिक कथन किया गया कि उन्होंने तत्समय मौखिक रूप से प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश बाद कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करने को कहा था पर आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं हुए इस कारण से प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं पाया। आयोग के समक्ष श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव की यह दलील स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएं जिससे यह साबित होता हो कि उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए आवेदक को सूचित किया गया हो। वही आवेदक द्वारा कथन किया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश उपरांत भी उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव द्वारा जानबूझकर आरटीआई आवेदक को जानकारी से वंचित रखने का कृत्य किया गया है।

(5) आयोग श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला–रीवा म0प्र0 (वर्तमान में–सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला–रीवा म0प्र0) को उक्त कार्यवाही हेतु उन्हें सचेत करते हुए निर्देशित करता है कि वे भविष्य में आरटीआई आवेदनों का पालन विधि सम्मत तरीके से करें।

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(6) आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी/संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा द्वारा भी प्रकरण में विधि विरूद्ध आदेश जारी कर तीन बिन्दुओं में से मात्र एक बिन्दु की जानकारी निःशुल्क देने के आदेश जारी किये गये थे। आयोग अपीलीय अधिकारी/संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश दिनांक 25/01/2022 को तत्काल प्रभाव से अपास्त करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा तत्समय अपीलार्थी की प्रथम अपील दिनांक 06/01/2022 का विधि विरूद्ध तरीके से समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया गया है। अतः आयोग प्रथम अपीलीय अधिकारी को सचेत करता है कि भविष्य में प्रथम अपील का निराकरण विधि सम्मत तरीके से करे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(7) आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला–रीवा म0प्र0 (वर्तमान में–सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला–रीवा म0प्र0) द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस बावत् सूचना के अधिकार अधिनियम में अगर चाही गयी जानकारी बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारणों से उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आयोग द्वारा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन 250/– रूपये के मान से अधिकतम 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का जुर्माना व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित करता है।

(6)- यह देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्ति की वसूली के प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। जिनमे कि अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत की है और कोई स्थगन भी नहीं है। फिर भी शास्ति संबंधी आयोग का आदेश अंतिम होने के उपरांत भी राशि जमा नहीं की है। संबंधित विभागों ने सूचना के उपरांत भी वसूली हेतु उचित कार्यवाही नहीं की है। उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत जनपद सीईओ एवं प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनपद पंचायत रीवा एवं जिस कार्यालय में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाती हो, को निर्देशित किया जाता है कि इस द्वितीय अपील प्रकरण में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा म.प्र. सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

2005 की धारा 8 (6) (एक) के अनुसार आदेश प्राप्ति के 30 दिन (एक माह के अंदर अधिरोपित शास्ति की राशि सूचना आयोग के कार्यालय में जमा न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जावे। एक माह में शास्ति की राशि जमा नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारियों से उनके आहरण एवं संवितरण अधिकारी भुगतान के समय उनके देयकों से यह राशि वसूल की जाकर शासकीय कोषालय में जमा करके आयोग को सूचित करें। कालांतर में उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने और आयोग का आदेश परिवर्तित हो जाने या शास्ति जमा करने संबंधी समस्त परिवर्तन भी संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित किये जावें।

(7)- आयोग इस प्रकरण में सूचना के अधिकार कानून 2005 की उल्लेखित धाराओं और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निम्नलिखित आदेश का संज्ञान लेता है.....

01 District And Session Judge vs State Information Commission on 3 November, 2020, Writ Petition No.16650/2020

The imposition of compensation is in purported exercise of power under Section 19(8)(b) of the Right to Information Act, 2005. In its decision, Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered. Section 20 of the Act apparently deals with penalties; in which Central Information Commission or State Information Commission is empowered to impose penalty under clause (c) of sub-section (8) of Section 19 of the Act which stipulates that In its decision, Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to impose any of the penalties

provided under this Right to Information Act, 2005. Thus, clause (c) of sub-section (8) of Section 19 of the Act operates in different field, whereas, while imposing a compensation, it is not obligatory for the State Information Commission to afford a separate opportunity of hearing to the incumbent

02 Hon'ble High Court of Delhi in the matter of R.K. Jain v. V.P. Pandey, CPIO, CESTAT, New Delhi in W.P. (C) No. 4785/ 2017 dated 10.10.2017

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

adjudicated on the correctness of an order of the CIC dated 17.04.2017 whereby the Respondent was cautioned to exercise due care in future and to ensure that correct and complete information is furnished to the RTI applicants. It was decided that: "2. The grievance of the petitioner is that although the CIC had accepted that there was a delay in providing the necessary information to the petitioner, the CIC had not imposed the penalty as required under Section 20(1) of the Right to Information Act, 2005. It is well settled that imposing of the penalty is a discretionary measure.

03 Hon'ble Delhi High Court in the case of J.P Agrawal v. Union of India- 2013(287) ELT25(Del.)

wherein it was held as under: 7 "it is the PIO to whom the application is submitted and it is who is responsible for ensuring that the information as sought is provided to the applicant within the statutory requirements of the Act. Section 5(4) is simply to strengthen the authority of the PIO within the department; if the PIO finds a default by those from whom he has sought information. The PIO is expected to recommend a remedial action to be taken". The RTI Act makes the PIO the pivot for enforcing the implementation of the Act.

04 Hon'ble High Court of Delhi in the matter of R.K. Jain vs Union of India, LPA No. 369/2018, dated 29.08.2018, held as under:

"9 That apart, the CPIO being custodian of the information or the documents sought for, is primarily responsible under the scheme of the RTI Act to supply the information and in case of default or dereliction on his part, the penal action is to be invoked against him only."

05 Hon'ble Delhi High Court decision in J P Aggarwal v. Union of India (WP (C) no. 7232/2009 it has held that:

"The PIO is expected to apply his / her mind, duly analyse the material before him / her and then either disclose the information sought or give grounds for non-disclosure."

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

06 Hon'ble Delhi High Court decision in J P Aggarwal v. Union of India (WP (C) no. 7232/2009 wherein it was held that:

7."it is the PIO to whom the application is submitted and it is who is responsible for ensuring that the information as sought is provided to the applicant within the statutory requirements of the Act. Section 5(4) is simply to strengthen the authority of the PIO within the department; if the PIO finds a default by those from whom he has sought information. The PIO is expected to recommend a remedial action to be taken". The RTI Act makes the PIO the pivot for enforcing the implementation of the Act.

07 Hon'ble High Court of Delhi in the matter of R.K. Jain v. V.P. Pandey, CPIO, CESTAT, New Delhi in W.P. (C) No. 4785/ 2017 dated 10.10.2017

adjudicated on the correctness of an order of the CIC dated 17.04.2017 whereby the Respondent was cautioned to exercise due care in future and to ensure that correct and complete information is furnished to the RTI applicants. It was decided that:

"2. The grievance of the petitioner is that although the CIC had accepted that there was a delay in providing the necessary information to the petitioner, the CIC had not imposed the penalty as required under Section 20(1) of the Right to Information Act, 2005. It is well settled that imposing of the penalty is a discretionary measure. In Anand Bhushan v. R.A. Haritash:

08 Hon'ble High Court of Delhi in Mujibur Rehman vs Central Information Commission (W.P. (C) 3845/2007)(Dated 28 April, 2009) wherein it was held as under:

"14.....The court cannot be unmindful of the circumstances under which the Act was framed, and brought into force. It seeks to foster an "openness culture" among state agencies, and a wider section of "public authorities" whose actions have a significant or lasting impact on the people and their lives. Information seekers are to be furnished what they ask for, unless the Act prohibits disclosure; they are not to be driven away through sheer inaction or filibustering tactics of the public authorities or their officers. It is to ensure these ends that time limits have been prescribed, in absolute terms, as well as penalty provisions. These are meant to ensure a culture of information disclosure so necessary for a robust and functioning democracy."

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

09 The Hon'ble Supreme Court of India in the matter of CBSE and Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay and Ors 2011 (8) SCC 497 held as under:

"37. The right to information is a cherished right. Information and right to information are intended to be formidable tools in the hands of responsible citizens to fight corruption and to bring in transparency and accountability. The provisions of RTI Act should be enforced strictly and all efforts should be made to bring to light the necessary information under Clause (b) of Section 4(1) of the Act which relates to securing transparency and accountability in the working of public authorities and in discouraging corruption."

10 IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH CWP No.17758 of 2014 Date of decision:19.05.2016.

"The aforesaid provision specifically stipulates imposition of penalty of `250/- for each day till the application is received and information is furnished but it should not exceed `25,000/- in all. This provision has already been interpreted by the Division Bench of the Himachal Pradesh High Court in Sanjay Hindwan's case (supra) in which it has been held that either the penalty has to be imposed at the rate fixed or no penalty has to be imposed."

11 THE HON'BLE HIGH COURT OF ALLAHBAD IN THE MATTER OF MUKUL AGRAWAL VS STATE OF U.P AND ORS. (WP-C 7222/2018) (DATED 28 TH FEBRUARY, 2018) HELD THAT:

" Under the Statute, Appellate authorities are supposed to decide the matter expeditiously, but it appears that authorities themselves are fixing dates of several months which is not the intention of the legislature since the statute has been framed for public welfare and encouraging transparency. Therefore, authorities under Right to Information Act, 2005 must decide the matters expeditiously"

आदेश

(21/09/2022)

(1) आयोग मध्यप्रदेश शासन के अधीन समस्त लोकप्राधिकारियों को स्पष्ट करता है कि हाईकोर्ट के नियम का हवाला देकर एक आरटीआई आवेदन में एक से अधिक बिन्दु की जानकारी को आधार बनाकर आरटीआई आवेदन निरस्त करना गैर कानूनी है। मध्यप्रदेश शासन के अधीन लोकप्राधिकारी में इस तरह का कोई नियम प्रभावशील नहीं है। उक्त नियम मध्यप्रदेश उच्चतम न्यायालय जबलपुर में ही प्रभावशील है। आयोग के इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0 को प्रेषित की जाए।

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(2) आयोग प्रकरण में कंडिका 5 में वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला–रीवा म0प्र0 (वर्तमान में–सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला–रीवा म0प्र0) को सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाता है। आयोग अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18/11/2021 से चाही गयी जानकारी को बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारणों से उपलब्ध न कराने के कारण प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन 250/– रूपये के मान से अधिकतम 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का जुर्माना श्री हरिमिश्र श्रीवास्तव पर व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित करता है।

(3) जुर्माने की राशि आदेश प्राप्ति के एक माह में नगद अथवा डी.डी.(सचिव, म0प्र0 राज्य सूचना आयोग, भोपाल) के माध्यम से आयोग कार्यालय में जमा करायें। नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 के नियम 8 (6) के तहत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(4) आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a) के तहत लोक प्राधिकारी – आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पालिका भवन 6 नं बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल म0प्र0 एवं जिस कार्यालय में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाती हो, को निर्देशित करता है कि इस द्वितीय अपील प्रकरण में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा म.प्र.सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 की धारा 8(6) (एक) के अनुसार आदेश प्राप्ति के 30 दिन (एक माह) के अंदर अधिरोपित शास्ति की राशि सूचना आयोग के कार्यालय में जमा न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जावे। एक माह में शास्ति की राशि जमा नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारियों से उनके आहरण एवं संवितरण अधिकारी भुगतान के समय उनके देयकों से यह राशि वसूल की जाकर शासकीय कोषालय में जमा करके आयोग को सूचित करें। कालांतर में उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने और आयोग का आदेश परिवर्तित हो जाने या शास्ति जमा करने संबंधी समस्त परिवर्तन भी संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित किये जावें।

(5) मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 के अध्याय 4(8)(4) के तहत राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी है।